

न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्या: 21/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

डा. मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा 425, नन्द विहार कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास बस्सी, जिला जयपुर। 303301

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट



अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक: 27.11.2018

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 21.08.2018 का आवेदन-पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 05.11.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मीमो का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट ने अभी तक सूचना नहीं मिलना अपील में अंकित किया है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2018 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि कार्यालय में संघारित है तो अपीलांट को निःशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्त कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर-प्रथम, जयपुर